

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

//संशोधित आदेश//

क्रमांक/1057/रीडर/कले0/2020

कोण्डागांव दिनांक 29/05/2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/934/रीडर/कले0/2020 कोण्डागांव दिनांक 08/05/2020 के कण्डिका 04 के अनुसार 31 मई 2020 तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कुछ प्रतिष्ठान को छोड़कर शेष प्रतिष्ठान को प्रतिबंधित किया गया है।

2. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक शनिवार को छोड़कर प्रत्येक रविवार मात्र एक दिन कोण्डागांव जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

3. साथ ही पूर्व में जारी आदेश दिनांक 08/05/2020 के अनुक्रम में कोण्डागांव जिले में अन्य गतिविधियां टैक्सी/जीप/ऑटो रिक्शा/रिक्शा/ई-रिक्शा को परिवहन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त आदेश एवं समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश के अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

कोण्डागांव दिनांक 29/05/2020


पृ. क्रमांक/1057/रीडर/कले0/2020
प्रतिलिपि:—

1. सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

//2//

3. आयुक्त, संभाग बस्तर (जगदलपुर) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव।
6. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला कोण्डागांव।
9. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोण्डागांव।
11. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव।
12. सर्व थाना प्रभारी जिला कोण्डागांव

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)